



6/2011

आपका अवमानना

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

15-3-18 कबुलना उस साक्ष्य सापल को अवसर पाया उसके साक्ष्य सापल दिनांक 26-4-18 को पेश हो।

उपस्थित अधिकारी  
विराटनगर (बनपुर)

26-4-18 कबुलना उस साक्ष्य सापल को अवसर पाया उसके साक्ष्य सापल दिनांक 12-6-18 को पेश हो।

उपस्थित अधिकारी  
विराटनगर (बनपुर)

12/6/18

पञ्जावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। हस्तगत अवमानना दिनांक 22-3-11 के दर्ज होकर साक्ष्य सापल में निपत-बल रही है। छा.ल.का अवसर दिये जाने उपरान्त भी साक्ष्य पूर्ण नहीं करवाये गये साक्ष्य सापल बन्द दिये गये हैं तथा प्रकृत का निस्तारण इस कदम किया जाता है कि अविषय के किसी पक्ष द्वारा न्यायालय को ड्रेस की अवहेलना की जाती है, जो पुनः प्रार्थना प्रज पेश करें। निर्णय नजमे आन लुगाप गया।

किरण सिंह



पीठासीन अधिकारी  
राजस्व लोक अदालत